प्रेस-नोट दि0-06.08.2025

थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़

➡ थाना फतनपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चोरी के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

➡ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत छानापार नहर पुलिया के पास थाना फतनपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के पैर में गोली लगी व अन्य 02 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया।

➡ घायल अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खुट्टी को ईलाज हेतु सीएचसी गौरा ले जाया गया है।

➡ अभियुक्तों कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, चोरी की 05 मोटरसाइकिल, 01 मोबाईल बरामद-

➡ अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खुट्टी पर जनपद प्रयागराज, जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे कुल आधा दर्जन संगीन अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 06.08.2025 को ASP(E) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व मे थाना फतनपुर थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत छानापार नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में चोरी के अभियोग से संबंधित 01 शातिर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खुट्टी पुत्र घनश्याम गुप्ता नि0 सराय दली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के दायें पैर में लगी गोली व अन्य 02 अभियुक्त, 01. हरिओम पाण्डेय उर्फ सचिन पुत्र धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय नि0ग्राम भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़, 02. अंकित गुप्ता पुत्र अमृतलाल नि0ग्राम केवराकला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी गौरा ले जाया गया है।

अभियुक्तों कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, चोरी की 05 मोटरसाइकिल (निशानदेही पर 03 मोटरसाइकिल), 01 मोबाईल बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 170/25 धारा 109(1), 3(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
01. सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खुट्टी पुत्र घनश्याम गुप्ता नि0 सराय दली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।
02. हरिओम पाण्डेय उर्फ सचिन पुत्र धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय नि0ग्राम भोजेमऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।
03. अंकित गुप्ता पुत्र अमृतलाल गुप्ता नि0ग्राम केवराकला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

घायल/ गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खुट्टी पुत्र घनश्याम गुप्ता नि0 सराय दली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
01. मु0अ0सं0 85/2018 – धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना दारागंज जनपद प्रयागराज।
02. मु0अ0सं0 33/2023 – धारा 380/411/454 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 813/2018 – धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 814/2018 – धारा 411/413 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 334/2024 – धारा 303(2), 317(2), 318(4), 319(2), 336(3) BNS व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 170/25– धारा 109(1), 3(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 विकास निषाद, उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 प्रभांशु कुमार राय, उ0नि0 प्रदीप कुमार, उ0नि0 मृत्युंजय, उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा, उ0नि0 राजेश सिंह यादव, हे0कां0 सुनील यादव, हे0का0 शिवानन्द यादव, का0 अभिषेक सिंह , का0 उपेन्द्र सिंह गुर्जर, कां0 ओमप्रकाश पाल, का0 दशरथ पटेल, कां0 विवेक यादव, का0 सुजीत यादव, का0 आशुतोष तिवारी, का0 धुर्वेश कुमार, का0 मनोज यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 विशाल कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, के दौरान एसटी नं0 591/18 अ0सं0-671/2018 बनाम राज्य धारा 452/323/504/506/352 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्तों, 01.रामचन्द्र हरिजन पुत्र स्व0 रामलौट 02.मुन्नेलाल प्रजापति पुत्र जोखूराम प्रजापति निवासीगण ग्राम सरायबीरभद्र थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रामचन्द्र हरिजन पुत्र स्व0 रामलौट निवासी सरायबीरभद्र थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02. मुन्नेलाल प्रजापति पुत्र जोखूराम प्रजापति निवासी सरायबीरभद्र थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 विशाल कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार – थाना सांगीपुर पुलिस की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 28.07.2025 को ग्राम लाला का पुरवा (तारापुर) में वादी की पुत्री को आरोपीगण द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना व वादी की पुत्री की मृत्यु होने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान, का0 राम निवास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2025 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त शिवा वर्मा पुत्र धीरज वर्मा निवासी ग्राम लाला का पुरवा तारापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.शिवा वर्मा पुत्र धीरज वर्मा निवासी ग्राम लाला का पुरवा तारापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान, का0 राम निवास यादव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

➡थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 04 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

➡अभियुक्त को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत कटरिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 रामबली चौहान मय हमराह हे0का0 राममिलन, का0 राहुल प्रताप सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 04 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त सतुल उर्फ अतुल सरोज पुत्र कृसु सरोज निवासी ग्राम दलापट्टी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत कटरिया पुल के पास गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 04 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना उदयपुर में मु0अ0सं0 113/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.सतुल उर्फ अतुल सरोज पुत्र कृसु सरोज निवासी ग्राम दलापट्टी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त सतुल उर्फ अतुल सरोज पुत्र कृसु सरोज निवासी ग्राम दलापट्टी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 106/2025 धारा 115(2), 351(3), 352 BNS थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 145/2022 धारा 323, 427, 506 भादवि थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 153/2021 धारा 363, 506 भादवि थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 098/2022 धारा 323, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
04 अदद देशी बम ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रामबली चौहान मय हमराह हे0का0 राममिलन, का0 राहुल प्रताप सिंह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 राशि पड़िया बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

➡थाना कुण्डा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रद्दू का पुरवा, बरई के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➡अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 राशि पड़िया को किया गया बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0ॅ अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराध/अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनाँक 05.08.2025 को पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से थाना कुण्डा के उ0नि0 निर्मल कुमार, का0 मु0 गोपाल सिंह द्वारा थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 211/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त, राजेश सोनकर पुत्र राजबहादुर सोनकर निवासी काजीपुर गुलाम जाफर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रद्दू का पुरवा, बरई के पास से चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 राशि चोरी की पड़िया बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. राजेश सोनकर पुत्र राजबहादुर सोनकर निवासी काजीपुर गुलाम जाफर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश सोनकर पुत्र राजबहादुर सोनकर निवासी काजीपुर गुलाम जाफर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 274/23 धारा 379/411/427 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 211/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः-
01 राशि चोरी की पड़िया बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 निर्मल कुमार, का0 मु0 गोपाल सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा सक्रिय 06 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

➡ एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

➡थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट गाली गलौज धमकी, जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 06 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

➡ उक्त अभियोग से संबंधित सभी 06 अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

प्रतापगढ़ ।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है ।

थाना कुण्डा -

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में दिनांक 06.08.2025 को सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर शिव गोविंद पटेल उर्फ गोविन्द पटेल पुत्र राम आसरे पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ व सदस्यों 1. मो0 कादिर पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम बडूपुर खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 2. सचिन पटेल उर्फ मंगेश पुत्र रामधनी पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 3. गौरव यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 4. सचिन उर्फ हेमन्त पटेल पुत्र रामसरन पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 5. विकास पटेल पुत्र राजाराम पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 213/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त शिव गोविंद पटेल उर्फ गोविन्द पटेल अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट गाली गलौज धमकी के अपराधों को कारित किया है।

गैंग लीडर शिव गोविंद पटेल उर्फ गोविन्द पटेल पुत्र रामआसरे पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ने अपने गैंग सदस्य 1. मो0 कादिर पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम बडूपुर खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 2. सचिन पटेल उर्फ मंगेश पुत्र रामधनी पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 3. गौरव यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 4. सचिन उर्फ हेमन्त पटेल पुत्र रामसरन पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 5. विकास पटेल पुत्र राजाराम पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम किया है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 11.03.2025 को आकाश सरोज को घर से बुलाकर दिनदहाडे समय करीब 11.30 बजे टिकरिया बुर्जुग स्थित अनवर के चक्की के पास सरेआम सड़क पर हाकी डण्डे व राड से बुरी तरीके से मारा पीटा गया तथा बचाने आये सागर सरोज को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा पहुँचायी गयी चोटों के परिणामस्वरुप आकाश सरोज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त घटना के सम्बंध में मृतक के भाई फूलचन्द्र सरोज की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 191 (2), 191(3), 190, 115(2), 103(1) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट

का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके पूर्व गिरोह सरगना शिव गोविंद पटेल उर्फ गोविन्द पटेल द्वारा दिनांक 22.12.2023 को धन्नू देवी पटेल पत्नी हरीलाल पटेल व बजरंग बहादुर पटेल एवं राजू पटेल सुतगण स्व० हरीलाल पटेल नि०गण नन्दा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को बुरी तरीके से मारपीट कर सिर में गम्भीर चोट पहुंचायी गयी थी जिसके सम्बंध में वादी मुकदमा श्री कमलेश पटेल पुत्र हरीलाल पटेल नि० नन्दा का पुरवा, खेमीपुर थाना कुण्डा प्रतापगढ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 457/2023 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस गिरोह के गैगलीडर व सदस्यों के विरुद्ध थाना कुण्डा में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, मारपीट, धमकी, गाली गलौज व गैंगस्टर एक्ट जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं।

1- गैंग लीडर शिव गोविन्द पटेल पुत्र दृ रामआसरे पटेल निवासी नंदा का पुरवा, खेमीपुर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 62/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 103(1), 61(2) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 132/24 धारा 366 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

03. मु0अ0सं0 457/23 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

04. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

2- मो0 कादिर पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम बड़ूपुर खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 62/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 103(1), 61(2) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

3- सचिन पटेल उर्फ मंगेश पुत्र रामधनी पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 62/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 103(1), 61(2) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

4- गौरव यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 62/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 103(1), 61(2) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

5- सचिन उर्फ हेमन्त पटेल पुत्र रामसरन पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 62/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 103(1), 61(2) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

6- विकास पटेल पुत्र राजाराम पटेल निवासी ग्राम नंदा का पुरवा खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 62/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 103(1), 61(2) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 213/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़